अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक **मेसर्स कुमार अभिषेक कन्स0, प्रो0–मनोज कुमार, निबंधन संख्या–666/2012, अशोक नगर, भटबिगहा, गया, बिहार** को **कार्य प्रमंडल, इमामगंज** के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **रानीगंज बरहीखाप (पैकेज सं0–BR-12R-223)** तक पथ निर्माण कार्य आवंटित था जिसके एकरारनामा संख्या–06/SBD/PMGSY/2013-14 के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि–25.01.2023 एवं कार्य पूर्णता की तिथि–24.01.2014 है।

उक्त पथ निर्माण कार्य को एकरारनामा के अनुसार एकरारित अवधि तक लंबित/अपूर्ण रखने के कारण विभागीय सकारण आदेश संख्या–3347 दिनांक–14.09.2020 द्वारा कालीकृत किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–15373/2021 में दिनांक–13.07.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–6050 दिनांक–28.11.2023 द्वारा निरस्त किया गया। पुनः उसी न्यायादेश में संवेदक से विनिदिष्ट स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमसंगत कार्रवाई का निदेश प्राप्त है। इस संबंध में संवेदक से विभागीय पत्रांक–6174 दिनांक–06.12.2023 द्वारा 15(पन्द्रह) दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, परन्तु निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध नहीं कराया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–2709 दिनांक–14.08.2024 द्वारा स्मारित किया गया। फिर भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहने के कारण पुनः संवेदक को अंतिम रूप से विभागीय पत्रांक–3077 दिनांक–25.09.2024 द्वारा स्मारित किया गया। संवेदक द्वारा कोई प्रतिउत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। कार्य अपूर्ण रहने के कारण आम जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पाया एवं विभाग की छवि धुमिल हुई है। कार्य पूर्ण नहीं करने हेतु संवेदक दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11 (क) (vi) के आलोक में संवेदक **मेसर्स कुमार अभिषेक कन्स0, प्रो0–मनोज कुमार, अशोक नगर, भटबिगहा, गया, बिहार के निबंधन संख्या–666/2012** को अगले 03(तीन) वर्षो के लिए Blacklist किया जाता है।

24/10/24

(श्रीप्रकाश)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0)सम्प्रति(नि0एवं गु0नि0)कालीसूची–10–75/2023-3322 /पटना, दिनांकः–25/10/24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/10/24

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0)सम्प्रति(नि0एवं गु0नि0)कालीसूची–10–75/2023-3328 /पटना, दिनांकः–25/10/24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/10/24

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0)सम्प्रति(नि0एवं गु0नि0)कालीसूची–10–75/2023-3328 /पटना, दिनांकः–25/10/24

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0)सम्प्रति(नि0एवं गु0नि0)कालीसूची–10–75/2023-3328/पटना, दिनांकः–25/10/24

प्रतिलिपिः– संवेदक **मेसर्स कुमार अभिषेक कन्स0, प्रो0–मनोज कुमार, निबंधन संख्या–666/2012, अशोक नगर, भटबिगहा, गया, बिहार** को सूचनार्थ प्रेषित।

24/10/24

अभियंता प्रमुख